न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : अजीतसिंह राजावत, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 362/2023 362/2024 401/2024

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1. नरसिंगराम पुत्र गुलाबराम 2. घेवरराम पुत्र धनाराम जातियान– माली निवासी–- ग्राम चौखा तहसील व जोधपुर।		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, जोधपुर।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956विरूद्ध निर्णय दिनांक 08.10.2024 उपखण्ड अधिकारी (उत्तर), जोधपुर के द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र 06/2024 अनवान नरसिंगराम बनाम सरकार में पारित किया गया।

उपस्थितिः–

1– श्री सुगनमल परिहार, अधिवक्ता अपीलांटस की ओर से ।
2– श्री नवल सिह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

निर्णय

दिनांकः 04 नवम्बर, 2024

अपीलान्ट के द्वारा यह अपील उपखण्ड अधिकारी (उत्तर), जोधपुर के द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र 06/2024 अनवान नरसिंगराम बनाम सरकार में पारित आदेश 08.10.2024 के विरूद्ध न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

पक्षकारो के अधिवक्तागण उपस्थित। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। वकील अपीलांटस ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस मे कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी, उत्तर, जोधपुर के समक्ष अपीलान्ट की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश करते हुए निवेदन किया था कि ग्राम चौखा तहसील जोधपुर में उनकी कृषि भूमि खेत खसरा संख्या 328, 329 व 330 स्थित है। ख0सरा संख्या 328 व 330 एक ही चक के रूप में आया हुआ है तथा ख0सं0 329 गैर मुमकीन बेरा है जो ख0सं0 330 व 328 के बीच की सीमा पर स्थित है। ख0सं0 328 व 329, 330 के पर्चा लगान सेटलमेन्ट विभाग द्वारा एक ही साथ अलग–अलग जारी किये गये। ख0सं0 330 व 329 का पर्चा लगान संख्या 22 व ख0सं0 328 का पर्चा लगान संख्या 167 जारी किया गया। पर्चा लगान जारी करते समय ख0सं0 328 के पर्चे में खातेदार के बजाय गैर खातेदार लिख दिया गया जबकि ख0सं0 329 व 330 के पर्चा

लगान में खातेदार लिखा गया। उपरोक्त तीनों खसरों के आसपास में जो अन्य भूमिया है उनकी जमाबन्दियों में काश्तकार का नाम बतौर खातेदार है। दोनों पर्चा लगान अर्थात पर्चा लगान संख्या 22 व 167 पर लगातार खातेदारान काबिज काश्त करते आ रहे है। अतः ख0सं0 328 का पर्चा लगान संख्या 167 जारी करते समय हुई लिपिकिय भूल को दुरूस्त किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा बाद सुनवाई प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अपने आदेश दिनांक 08.10.2024 को अस्वीकार कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की है।

अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख एवं रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया।

पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित। दौरान सुनवाई अपीलान्टस के अधिवक्ता ने उपरोक्त तथ्यों को दोहराते हुए यह कथन किया कि ग्राम चौखा तहसील जोधपुर में उनकी कृषि भूमि खेत खसरा संख्या 328, 329 व 330 स्थित है। ख0सं0 329 व 330 का पर्चा लगान संख्या 22 भू प्रबन्ध विभाग द्वारा गुलाबराम, रामचन्द्र पिसरान हीराराम यह 1/8, धनाराम पुत्र पूनाराम 1/8, भंवरलाल, दयाराम, मोहनराम, मगाराम, ओगडराम पिसरान त्रिलोकराम 1/4 व जयनारायण वल्द छोगजी 1/2 के नाम से जारी हो रखा है। दोनों ही पटटो में वर्णित मूल खातेदार का स्वर्गवास हो चुका है तथा उनके विरासतके नामान्तरकरण भी समय–समय पर स्वीकृत किये गये है। अपीलार्थी संख्या 01 मूल खातेदार गुलाबराम का पुत्र तथा अपीलान्ट संख्या 2 मूल खातेदार धनाराम का पुत्र है। ख0सं0 328 व 330 एक ही चक के रूप में स्थित है तथा ख0सं0 329 गैर मुमकीन बेरा दर्ज है। ख0सं0 328 का पर्चा लगान जारी करते समय उक्त भूमि खातेदारी के रूप में दर्ज करने के बजाय गैर खातेदारी में दर्ज कर दी गई जबकि इन खसरों का पर्चा लगान में भी खातेदार ही दर्ज किया जाना चाहिये था। इस प्रकार ख0सं0 328 का पर्चा लगान संख्या 167 जारी करते समय भू प्रबन्ध विभाग के कार्मिकों द्वारा यह लिपिकिय भूल की गई है। उक्त त्रुटिपूर्ण अंकन अथवा लिपिकिय त्रुटि को दुरूस्त करने के अधिकार राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत भू अभिलेख अधिकारी यानि उपखण्ड अधिकारी को प्रदान किये है। जिस हेतु उपखण्ड अधिकारी न्यायालय सक्षम है। अतः उक्त त्रुटि को दुरूस्त किया जाकर राजस्व रेकर्ड में सुधार करने के आदेश प्रदान किये जावें।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट की ओर से प्रार्थना पत्र किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार जोधपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट इत्यादि तलब की गई। तहसीलदार जोधपुर के द्वारा पेश मौका रिपोर्ट में अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ताईद की हुई थी तथा बहुत ही स्पष्ट रिपोर्ट पेश की गई परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करते समय उस तथ्यात्मक रिपोर्ट को पूर्णतः नजरअदांज कर दिया गया और प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में ''धारा 136 एलआर एक्ट के तहत केवल लिपिकिय त्रुटि को ही सुधारा जा सकता है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त करने की रेमेडी उपलब्ध है है, वहॉ पर राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत अनुतोष नहीं दिया जा सकता है। प्रार्थी ने एक परिपत्र राजस्व विभाग (ग्रुप–6) जयपुर क्रमांक प.9 (225) राज–6/07/38 जयपुर दिनांक 20.11.2007 का पेश किया है उसमें भी भू प्रबन्ध के दौरान हुई त्रुटियों को तहसीलदार द्वारा सीधे ही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर ही सुधार किया जा सकता है लेकिन प्रकरण में प्रार्थना पत्र तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया तो ऐसे मे उक्त परिपत्र लागू नहीं होता है अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।'' अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानों का ठीक से समझे बिना ही प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर दिया जबकि राजस्व रेकर्ड में हुई गलती देखने से स्पष्ट होती है जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक था। उक्त अधिनियम के तहत तहसीलदार द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया जाना आवश्यक नहीं था बल्कि पीडित पक्षकार द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर तहसीलदार को पक्षकार बनाया और तहसीलदार द्वारा पत्रावली पर अपनी रिपोर्ट पेश की गई। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो फाईडिंग दी गई है वो उचित नहीं थी। भू अभिलेख अधिकार द्वारा राजस्व रेकर्ड के निरीक्षण के दौरान भी रेकर्ड में पाई गई त्रुटि को स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लेते हुए ही पक्षकारान की सुनवाई उपरान्त दुरूत करने के आदेश दे सकते है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर अपीलान्ट की अपील को स्वीकार किया जावे एवं ग्राम चौखा तहसील जोधपुर के ख0सं0 328 के राजस्व रेकर्ड में अपीलान्टस के गैर खातेदार के हुए अंकन को दुरूस्त करते हुए खातेदार दर्ज करने का आदेश प्रदान करावें।

प्रत्युतर में राजकीय अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष

आयुक्त

की ओर पेश प्रार्थनापत्र को धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत राजस्व विभाग के परिपत्र अनुसार निर्णित किया है जो बहाल रखा जावें।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 08.10.2024 का एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजो आदि का अध्ययन किया जिससे यह पाया गया कि अपीलार्थीगण के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किये गये धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार जोधपुर की ओर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई जिसमें मौके पर ख0सं0 328 व 330 एक ही चक के रूप में स्थित होना जिसके पर्चा लगान संख्या 22 में संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। तथा खसरो के बीच की सीमा पर ख0सं0 329 गैर मुमकीन कुंआ स्थित होना दर्शाया तथा आसपास की भूमियॉ खातेदारी में दर्ज होना दर्शाया हैं। तथा जारी पर्चा लगान संख्या 167 में ख0सं0 328 गैर खातेदार के रूप में दर्ज हैं। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को इस आधार पर अस्वीकार किया गया है कि प्रार्थी द्वारा चाहा गया ऐसा अनुतोष राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत दिया जा सकता है एवं राजस्व विभाग के परिपत्र अनुसार ऐसी त्रुटिया पाये जाने पर तहसीलदार को ही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर सुधार किया जा सकता है, अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन आदेश में दी गई ऐसी फाईडिंग को न्याय प्रदान किये जाने की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता है और न ही विधि अनुरूप उचित ठहराया जा सकता है क्योंकि राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 में स्पष्ट प्रावधान दिये हुए है कि भू अभिलेख अधिकारी के राजस्व रेकर्ड के निरीक्षण के दौरान इस प्रकार की त्रुटि ध्यान में लाये जाने पर वह सम्बन्धित पक्षकारान को सुनवाई उपरान्त राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती का आदेश दे सकता है, मात्र तकनीकी बिन्दू कि तहसीलदार द्वारा ऐसा प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का आधार नहीं हो सकता हैं। इसके अतिरिक्त तहसीलदार जोधपुर के द्वारा भी प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने बाबत कोई विरोध प्रकट नहीं किया गया। ऐसे में उल्लेखित समस्त तथ्यों पर विवेचन एवं विश्लेषण तथा उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर हमारी विनम्र रॉय में अपीलान्ट की अपील स्वीकार करने योग्य पाई जाती है।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों पर विवेचन एवं विशलेषण के परिणामस्वरूप अपीलान्टस की अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,

(उत्तर), जोधपुर के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.10.2024 को निरस्त किया जाकर तहसीलदार जोधपुर को निर्देशित किया जाता है कि ग्राम चौखा के खसरा संख्या 328 के राजस्व रिकार्ड में अपीलान्टस को ''गैर खातेदार'' के स्थान पर ''खातेदार'' का इन्द्राज कर दुरूस्त करते हुए राजस्व रिकार्ड को शुद्ध किया जावें। निर्णय आज दिनांक 04 नवम्बर, 2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

04.11.24

(अजीतसिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
जोधपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर